(169)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 285–I/2005 निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 03–01–2005 पारित व्दारा आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 116/2004–05 निगरानी

अशोक कुमार मिश्र पुत्र रामायण प्रसाद
ग्राम मैदानी तहसील हुजूर जिला रीवा ——आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ——अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)
(अनावेदक के पैनल लायर श्रीमती नीना पाण्डे)

आ दे श
(आज दिनांक 17–8–2017 को पारित)

आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 116/2004–05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3–1–05 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर ने कलेक्टर रीवा को प्रतिवेदन दिनांक 29–7–2003 प्रस्तुत कर बताया कि उनके न्यायालय में प्रकरण कमांक 13 अ–1/1996–97 उपलब्ध नहीं है। दायरा पॅजी में प्रकरण प्रवाचक ने दायर नहीं किया है अपितु किसी फर्जी व्यक्ति ने दायरा रजिस्टर में दायरे की प्रविष्टि की गई है जिसके आधार पर आवेदक को शासकीय भूमि का भूमिस्वामी बनाया गया है जिसे दुरूस्त किया जावे। कलेक्टर रीवा ने स्वमेव निगरानी कमांक 118/2002–03 पॅजीबद्व की एंव आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। आवेदक ने कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर स्वमेव निगरानी की प्रचलनशीलता पर आपत्ति प्रस्तुत

की। कलेक्टर रीवा ने आवेदक को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 28—6—2004 पारित किया तथा आवेदक की आपत्ति अमान्य करते हुये कारण बताओ नोटिस पर सुनवाई हेतु पेशी 20—7—2004 नियत की। कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हुई। आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 116/2004—05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3—1—05 से निगरानी निरस्त की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के न्यायालय का प्र.क. 13 अ—1/96—97 है जिसकी विधिवत् नकल जारी की गई है। अनुविभागीय अधिकारी का प्रकरण न होना मानकर स्वमेव निगरानी दर्ज करने में गलती की गई है । स्वमेव निगरानी छै वर्ष वाद नहीं की जा सकती है। स्वमेव निगरानी प्रचलनशील न होने से निरस्त की जाना थी किन्तु कलेक्टर रीवा ने एंव आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने आपत्ति पर ध्यान न देने में भूल की है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जॉय।

अनावेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि जब मूल प्रकरण बनाया नहीं गया एंव दायरे में किसी अज्ञात व्यक्ति ने जालसाजी करके दायर अंकित कर दिया तथा शासकीय भूमि आवेदक के नाम कपटपूर्वक की गई, कलेक्टर को जानकारी के दिन से स्वमेव निगरानी की अधिकारिता है इसलिये निगरानी निरस्त की जावे।

5/ दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी हुजूर ने कलेक्टर रीवा को जॉच प्रतिवेदन दिनांक 29—7—2003 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि दायरा पंजी में पदस्थ प्रस्तुतकारों ने प्रकरण दर्ज नहीं किया है

अपितु किसी अन्य व्यक्ति व्दारा प्रविष्टि की गई है और गलत तरीके से शासकीय भूमि का आवेदक भूमिस्वामी बना है। अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 29—7—2003 से शासकीय भूमि आवेदक के नाम गलत तरीके से दर्ज होने का तथ्य कलेक्टर के अभिज्ञान में आया है जिसके कारण जानकारी के दिन से स्वमेव निगरानी प्रचलन—योग्य है जिसमें समय—सीमा की पावन्दी नहीं है। कलेक्टर रीवा के अंतरिम आदेश दिनांक 28—6—04 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर ने आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित कारणों का उत्तर प्रस्तुत करने हेतु पेशी 20—7—2004 नियत की है एंव आवेदक को कलेक्टर के समक्ष पक्ष रखने का एंव सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्राप्त है जिसके कारण आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 116/2004—05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3—1—05 में कलेक्टर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। आवेदक व्दारा कलेक्टर के अंतरिम आदेश दिनांक 28—6—04 के विरूद्व विभिन्न न्यायालयों निगरानी करके वर्ष 2017 तक मामला लम्बित कराना पाया गया है जिसके कारण निगरानी सारहीन है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 116/2004—05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3—1—05 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(ऐस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर